

21.01.2025:—पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। पूर्व पेशी दिनांक 12.11.2024 को न्यायाहित मे अंतिम अवसर दिया गया था वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आए। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो

  
सहायक क्लर्क  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

